न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
आँगनवाड़ी वाद संख्या–90 / 2017
बबीता कुमारी –बनाम– निरमा कुमारी एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25/09/2018	**आदेश** उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत आँगनवाड़ी अपीलवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के द्वारा वाद संख्या–212 / 2017 निरमा कुमारी बनाम राम शोभा देवी एवं अन्य में पारित आदेश ज्ञापांक 649 दिनांक 22.05.2017 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा दायर वाद आवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी को नोटिस निर्गत करने एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त करने का आदेश दिया गया। उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय का अभिलेख सं0–212 / 2017 श्रीमती निरमा कुमारी बनाम राम शोभा देवी (महिला पर्यवेक्षक), प्राप्त है एवं विपक्षी का प्रत्युत्तर प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत् वाद आँगनवाड़ी केन्द्र सं0–71 सकीरना, ग्राम पंचायत नदियामी, प्रखंड–कुशेश्वरस्थान से संबंधित है। उक्त केन्द्र पर सेविका पद हेतु कुल–13 आवेदिका द्वारा आवेदन दिया गया। तत्पश्चात् आम सभा की बैठक दिनांक 10.01.2017 में अपीलार्थी का चयन सेविका पद हेतु किया गया है। उक्त चयन के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में वाद सं0–212 / 2017 दायर किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान दरभंगा का प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक 93 दिनांक 30.03.2017 में प्रतिवेदित है कि अपीलार्थी बबीता कुमारी विधवा नहीं सधवा है। अतः बबीता देवी का चयन अवैध है तथा अभिलेख आधारित नहीं है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा अपीलार्थी के चयन को निरस्त किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी निरमा कुमारी अपने पति के साथ मूलतः सीतामढ़ी में निवास करती हैं। जिन्हें दो जगह का वोटर आई0डी0 कार्ड है जो कानूनन एक अपराध है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी विधवा है। उक्त के समर्थन में संबंधित मुखिया जी द्वारा विधवा प्रमाण पत्र निर्गत है, जिसकी अनदेखी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा की गयी है। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की कृपा की जाय। विपक्षी सं0–4, 5 एवं 6 क्रमशः मुखिया, सरपंच एवं वार्ड सदस्य के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि उन्हें अनावश्यक रूप से इस वाद	

में पक्षकार बनाया गया है। संबंधित पक्षकार के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी विधवा है, जिसमें संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत है। विधवा प्रमाण पत्र निर्गत करने का आधार यह है कि अपीलार्थी के पति विगत 11 वर्षों से लापता हैं। विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी सं0–01 ग्राम–बाजपट्टी, जिला–सीतामढ़ी की भी निवासी है जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित है। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है। जिसे निरस्त करने की कृपा की जाय।

प्रत्यर्थी सं0–01 निरमा कुमारी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पारित आदेश अभिलेख आधारित तथ्य के अनुरूप तथा विधि सम्मत् आदेश है। उक्त के समर्थन में विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी सं0–01 आँगनवाड़ी केन्द्र सं0–71 के पोषक क्षेत्र की लाभार्थी हैं, जिनके पति अरूण कुमार साह का नाम मैपिंग पंजी के क्रमांक 102 पर अंकित है तथा संबंधित वार्ड सं0–17 की निवासी है, जिनका नाम पंचायत आम निर्वाचन नियमावली–2016 (बिहार) के मतदाता क्रमांक 291 पर अंकित है। विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ही प्रत्यर्थी सं0–01 के द्वारा संबंधत बी0एल0ओ0 सीतामढ़ी के समक्ष नाम विलोपित करने हेतु फार्म सं0–7 का आवेदन दिनांक 20.12.2016 को दिया गया है, जो सामान्य अनुक्रम में प्रक्रियात्मक विधि के अनुरूप है।

प्रत्यर्थी सं0–01 के विद्वान् अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि निम्न न्यायालय के अभिलेख पर संधारित साक्ष्य से स्पष्ट है कि अपीलार्थी विधवा नहीं है। उक्त के समर्थन में विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम से प्राप्त सूचना से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें परित्यक्ता प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग की गयी। उक्त आवेदन पर वार्ड पंच, वार्ड सदस्य, उप सरपंच, सरपंच का हस्ताक्षर है। प्राप्त सूचना से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा एक शपथ पत्र दिनांक 09.12.2016 को दिया गया है, जिसमें भी शपथ पत्र बनाने का कारण विधवा नहीं बताया गया है। लेकिन मुखिया जी द्वारा विधवा होने का प्रमाण पत्र दिया गया है, जो स्थापित विधि के विरूद्ध है क्योंकि यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मांग किये गये अनुतोष के अनुरूप ही संबंधित पक्षकार को अनुतोष दिया जा सकता है/नहीं दिया जा सकता है। प्रत्यर्थी सं0–01 के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी के पति शिव कुमार साह के विरूद्ध कुशेश्वरस्थान थाना कांड सं0–109 दिनांक 03.03.2009 दर्ज किया गया है, जो माननीय न्यायालय में लंबित है तथा पंचायत आम निर्वाचन नियमावली 2016 (बिहार) के मतदाता सूची क्रमांक 247 पर उक्त शिव कुमार साह का नाम अंकित है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो मुखिया जी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र को समर्थित कर सके। उक्त सभी तथ्यों की गहन विवेचना करने के पश्चात् जिला प्रोग्राम

पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा प्रश्नगत् आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्कता नहीं है।

विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अभिलेख पर संधारित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कुशेश्वरस्थान के कार्यालय पत्रांक 93 दिनांक 30.03.2017 से यह प्रतिवेदित है कि अपीलार्थी विधवा नहीं है। अतः विधि सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है।

उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा परित्यक्ता प्रमाण पत्र निर्गत हेतु आवेदन दिया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान के प्रतिवेदन पत्रांक 93 दिनांक 30.03.2017 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि जाँच के क्रम में पोषक क्षेत्र के लाभुकों के द्वारा बतलाया गया कि बबीता कुमारी पति श्री शिव कुमार साह विधवा नहीं है एवं प्रत्यक्ष रूप से देखने पर भी पता चलता है कि वह सधवा है। अतः उक्त साक्ष्यधारित तथ्य के अनुरूप जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उक्त विवेचना के साथ अपीलवाद को अस्वीकृत करते हुए इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।